

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- सुदर्शन सिंह तोमर

| क०सं० | अपील सं० | GCMS NO. | दर्ज दिनांक | उनवान | निर्णय दिनांक | कुल पृष्ठ |
|-------|----------|----------|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| 1 | 30/26 | 2026/36 | 27/04/2026 | रामकुमार बनाम सरकार | 30.04.2026 | 1 लगायत 3 |

1. रामकुमार पुत्र रंगी जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाड़ा तहसील वजीरपुर।
बनाम

—अपीलार्थी

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-


1. अपीलार्थी पक्ष की ओर से :- विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर शर्मा
2. रेस्पोडेन्ट पक्ष की ओर से :- परोकार सरकार

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 360/2026 में पारित निर्णय दिनांक 05/02/2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम फुलवाड़ा के आराजी ख०न० 1099 रकबा 0.25 है० किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि हल्का पटवारी ग्राम फुलवाड़ा द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार वजीरपुर के समक्ष इस आशय की पेश की अपीलार्थी लोहडे द्वारा चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1099 रकबा 0.25 है० पर अवैध अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त की है उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट मे प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये थे। जो अपीलार्थी को नहीं मिलकर अन्य दीगर व्यक्ति को दिये गये थे, जिसकी जानकारी अन्य अतिक्रमियो के द्वारा बताने पर अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करना चाहा लेकिन पेश होने से पूर्व ही अपीलार्थी के खिलाफ आदेश पारित कर दिया गया था, जबकि भूमि पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है, उसके बावजूद भी तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपीलार्थी को 60 दिन के सिविल कारावास से दण्डित करने एवं 50 गुना पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश प्रदान कर दिये जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी को यह अपील


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी
मु०सं० 30/2026 रामकुमार बनाम सरकार ।

प्रस्तुत की गई है। यह कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल है जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलार्थी का पश्चात् वृत्ति अतिक्रमी साबित ना होते हुये भी अपीलार्थी को पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी मानकर अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नही फरमाया कि पत्रावली मे पश्चात् वृत्ति अतिक्रमी को कोई पत्रावली इस पत्रावली के साथ पेश की गयी है तथा ना ही हल्का पटवारी की दैनिक डायरी कोई प्रति ही पत्रावली के साथ पेश की गई है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलार्थी के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने मे कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानो की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा मात्र हल्का पटवारी के पूर्व से किये गये बयानो के आधार पर भी अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है जबकि अदालत को चाहिये था कि वह खसरा नम्बर 1099 के पडौसी खातेदारो के बयान दर्ज करती उसके बाद ही अपीलार्थी को पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी साक्ष्य से साबित होने पर माना जा सकता था। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा होने के कोई आधारभूत दस्तावेज न होते हुये भी विवादित आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को जारी किया गया नोटिस की प्रोपर तामील नही होते हुये भी अपीलार्थी को बिना सुने ही आदेश पारित किया है। जो कानूनी भूल है जबकि अपीलान्त का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है ना ही भूमि पर कब्जा करने की मंशा रखता है। हल्का पटवारी ने ईष्यावश रखते हुये गलत रिपोर्ट की है इसी बिना पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर तहसीलदार वजीरपुर के निर्णय दिनांक 05.02.2026 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है, साथ ही अपील अपीलार्थी ने अपनी अपील तथा दौराने बहस कथन किया है कि अपीलार्थी का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है।

अतएव: परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार वजीरपुर आदिनांक से दिनांक 31.10.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्त कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 05.02.2026 खारिज कर सजा माफ


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

अन्
3
ग
द
3
त
न
त
त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 30/2026 रामकुमार बनाम सरकार ।

कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्त का कब्जा काशत पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.02.2026 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी